AMOGHVARTA

ISSN : 2583-3189

साइबर अपराध महिलाओं के खिलाफ हिंसा का एक नया आयाम

ORIGINAL ARTICLE

Authors

डॉ. प्रीति तन्ना टांक
सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग
शासकीय पालुराम धनानिया कॉमर्स एंड आर्ट्स महाविद्यालय
रायगढ़, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

डॉ. दिलीप कुमार मिश्रा
प्राचार्य
स्वामी बालकृष्ण पुरी लॉ महाविद्यालय
रायगढ़, जिला–रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत

शोध सार

सभी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। साइबर अपराध का शिकार होना किसी भी महिला के लिए सबसे दर्दनाक अनुभव हो सकता है। खासकर भारत में, जहां समाज महिलाओं को हेय दृष्टि से देखता है, और कानून साइबर अपराधों को ठीक से पहचान तक नहीं पाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों पर चर्चा करने की जो एक महिला पर हो सकते हैं और वे उस पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (2000) और संवैधानिक दायित्व जैसे मामलों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मौजूद विभिन्न कानूनों की भी संक्षेप में जांच की जायेगी। निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए साइबर अपराध के विभिन्न प्रतिष्ठित मामलों (रितू कोहली का मामला 2001)[1] की सहायता ली जायेगी। महिलाओं पर साइबर अपराध में हालिया वृद्धि और इसके विभिन्न कारणों पर भी विस्तृत समीक्षा कर भारत में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते साइबर अपराध का सामना करने के लिए कई उपाय सुझाने की भी योजना कर कार्य किया जावेगा। अपने निष्कर्ष पर साइबर अपराध के पीड़ितों के लिए उपलब्ध विकल्पों और साइबर अपराधियों के बढ़ते हौसलों पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए कानूनी प्रणाली में आवश्यक बदलावों पर ध्यान केंद्रित करेंगे।शोध का प्रमुख उद्देश्य वर्तमान का विश्लेषण करना है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु भारत में साइबर सुरक्षा का परिदृश्य और इसके लिए विशिष्ट कानून लाने की आवश्यकता है। इस शोध की प्रमुख उद्देश्य साइबर अपराध के विरुद्ध अधिक विशिष्ट नीतियां और कानून लाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालना है, साथ ही सोशल मीडिया नेटवर्क और निजी साइटों पर महिलाओं के खिलाफ होने वाले प्रत्येक विशेष अपराध के लिए विशिष्ट कानून में वृद्धि लाने के लिए सरकार को प्रयास करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द

साइबर अपराध, महिला, सुरक्षा, कानून, हिंसा.

परिचय

भारत लगभग 130 करोड़ की आबादी वाला देश है। अपार विविधता वाला और चिरस्थायी देश हैं। लेकिन भारत कभी भी महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं रहा है। भले ही भारत का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म महिलाओं

को भगवान लक्ष्मी का अवतार मानता है लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ है। पारंपरिक भारतीय समाज महिलाओं को बहुत उच्च सम्मान में रखता है। वेदों में महिलाओं को माँ, निर्माता, जीवन देने वाली के रूप में महिमामंडित किया गया है, और उन्हें ''देवी'' या देवी के रूप में पूजा जाता है। महिलाओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इस तरह उनकी अधीनता और दुर्व्यवहार को न केवल महिला के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए अपमानजनक माना गया। हालाँकि, आधुनिक समय में महिलाओं को यौन वस्तु के रूप में देखा और चित्रित किया जाता है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों और कार्यों में उन्हें पुरुषों से कमतर माना जाता है। इसने पुरुषों और महिलाओं के बीच एक बड़ा लैंगिक पूर्वाग्रह पैदा कर दिया है। जहां पुरुष भी सोचते हैं कि महिलाओं के प्रति उनके गलत कामों को दंडित नहीं किया जा सकता है। साइबर अपराध और इंटरनेट बुलिंग समान तरीके से काम करते हैं। जहां गलत काम करने वालों को किसी भी प्राधिकारी से डर नहीं लगता है। साइबर दुनिया अपने आप में एक आभासी वास्तविकता है जहां कोई भी अपनी पहचान छिपा सकता है या नकली पहचान भी बना सकता है।[2]

इंटरनेट के इस उपहार का उपयोग आपराधिक मानसिकता वाले लोग गलत कार्य को करने के लिए करते हैं, और फिर इंटरनेट द्वारा प्रदान किए गए कंबल के नीचे छिप जाते हैं। डिजिटल इंडिया कई नवाचारों और तकनीकी विकास का सार है।

आधी से अधिक आबादी कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य उपकरणों का उपयोग करता है। जिनमें सबसे अधिक उपयोग सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, चैटरूम, इंस्टाग्राम, स्काइप, व्हाट्सएप, डेटिंग साइट्स आदि में किया जाता है।[3] अपराध एक सामाजिक और आर्थिक घटना है, और यह मानव सभ्यता जितनी ही पुरानी है। अपराध मूलतः एक कानूनी अवधारणा है और इसमें कानून की धारा भी होती है। अपराध या अपराध ''एक कानूनी गलती है जिसके बाद आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप सजा हो सकती है।'' अपराध चाहे किसी भी प्रकार का हो, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समाज को हमेशा प्रभावित करता है। कंप्यूटर, इंटरनेट के उपयोग में निरंतर वृद्धि के कारण नए अपराधों की संख्या सामने आई है और उन अपराधों को मूल रूप से साइबर अपराध कहा जाता है। ये अपराध समाज के किसी भी समूह को निशाना बना सकते हैं, लेकिन महिलाएँ सबसे अधिक लक्षित समूह हैं। भारतीय समाज में साइबर अपराध की असली शिकार महिलाएं ही होती हैं। साइबर अपराध की अवधारणा साइबर अपराध शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। यह अवधारणा विविध है क्योंकि संचार या इंटरनेट के किसी भी माध्यम का उपयोग करके किए जाने वाले अपराध को साइबर अपराध कहा जा सकता है।

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य सोशल नेटवर्किंग मीडिया में महिला उपयोगकर्ताओं के खिलाफ साइबर अपराधों की जांच करना है। यह महिला उपयोगकर्ताओं के खिलाफ सोशल मीडिया नेटवर्क में साइबर अपराधों के अनुभव की भी जांच करता है। शोध का उद्देश्य महिलाओं में साइबर सुरक्षा, कानूनी सिद्धांतों और साइबर अपराध के अधिकारों के बारे में जागरूकता लाना हैं। महिलाओं को साइबर अपराध से संबंधित कानूनी कानूनों और अधिनियमों की जानकारी प्रदान करना भी इसका उद्देश्य हैं।

परिकल्पना

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के लिए एक परिकल्पना यह है कि महिलाएं साइबर अपराध कानूनों और कृत्यों से अनजान हैं। भारत में महिलाएं साइबर अपराधों की रिपोर्ट नहीं करतीं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इसकी रिपोर्ट कहां करनी है, या ऐसा करने में उन्हें शर्म आती है। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध मानसिक और भावनात्मक संकट पैदा कर सकते हैं, और इसमें लिंग–आधारित और यौन टिप्पणियाँ और गतिविधियाँ शामिल हो सकती हैं। महिलाओं और लड़कियों के साइबर हिंसा का शिकार होने की अधिक संभावना है, और उन्हें शारीरिक, यौन, मनोवैज्ञानिक या आर्थिक नुकसान हो सकता है। महिलाओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि साइबर अपराध से संबंधित अधिनियम तैयार किया गया है। यह शोध व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचौट आदि

जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क में महिलाओं के उत्पीड़न तक सीमित है। शोध वर्णनात्मक प्रकृति का है।

विधियाँ

इस प्रकार शोध प्रकृति में वर्णनात्मक है। 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं इंटरनेट या मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से साइबर सोशल मीडिया नेटवर्क में मेलजोल बढ़ाती हैं। संपूर्ण शोध द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित हैं।

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध

साइबर अपराध में वृद्धि हुई हैं, क्योंकि इसकी शायद ही कभी रिपोर्ट की जाती है, और इसका पता लगाना और साबित करना मुश्किल है। साइबर अपराध पारंपरिक निगरानी, जांच या ऑडिट से दूर है। अपराध की प्रकृति को समझने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। साइबर अपराध महिलाओं को मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का शिकार बनाकर सबसे अधिक प्रभावित करता है। इस प्रकार के अपराध से अधिकांश महिलाएं व्यथित, अपमानित और उदास हो जाती हैं जिसका समाधान करना चुनौतीपूर्ण होता है। महिलाओं के खिलाफ होने वाले सबसे आम साइबर अपराध हैं। साइबर ब्लैकमेल, धमकी, साइबरपोर्नोग्राफी, अश्लील यौन सामग्री पोस्ट करना और प्रकाशित करना, पीछा करना, धमकाना, मानहानि, मॉर्फिंग और नकली प्रोफाइल की स्थापना। 2019 तक, कुल साइबर अपराध की घटनाओं में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, लेकिन महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों की संख्या में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जैसा कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा दिखाया गया है। आंकड़ों से पता चला कि 2021 में दर्ज की गई 52, 974 घटनाओं में से 10, 730 घटनाएं या 20.2 प्रतिशत महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में दर्ज की गईं। 2021 में, कर्नाटक में मामलों की सबसे बड़ी हिस्सेदारी (2,243) थी, इसके बाद महाराष्ट्र (1, 697) और उत्तर प्रदेश (958) थे।[4]

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के मामलों में सजा की दर

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के लिए अदालतों द्वारा सजा की दर या मामले के निपटान का प्रतिशत साइबर अपराध के मामलों की सजा दर से कम है। हालांकि प्रतिशत अभी भी कम है, 2019 और 2021 के बीच यह तीन बार बढ़ा है। इसका मतलब है कि सजा दर 2019 में 10.8 प्रतिशत से बढ़कर 2021 में 35.2 प्रतिशत हो गई है। साइबर अपराध के सभी रूप साइबर अपराध पर एनसीआरबी की रिपोर्टरू साइबर अपराध के तहत कुल 52, 974 मामले दर्ज किए गए, जो 2020 (2020 में 50, 035 मामले) की तुलना में पंजीकरण में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, और अगर 2019 के आंकड़ों से तुलना की जाए, तो 2021 में साइबर अपराध की घटनाओं की संख्या में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अगर कुल घटित अपराधों के तहत अपराध दर की हिस्सेदारी की बात करें तो यह 2020 में 3.7 से बढ़कर 2021 में 3.9 हो गई है। 2021 में रिपोर्ट की गई अधिकांश साइबर अपराध की घटनाओं (52, 974 में से 32, 230) में धोखाधड़ी उनकी प्राथमिक प्रेरणा थी, इसके बाद यौन शोषण (8.6 प्रतिशत, 4, 555 मामले) और जबरन वसूली (5.4 प्रतिशत) थी।[5]

सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के तहत अपराध

आईटी अधिनियम कंप्यूटर स्रोत दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ सहित अपराधों को संबोधित करता है, जिसमें शामिल हैं– धारा 65– कंप्यूटर सिस्टम की हैकिंग से संबंधित है।[6] धारा 66– इलेक्ट्रिक रूप में अश्लील सूचना के प्रकाशन से संबंधित है।[7] धारा 67– संरक्षित प्रणाली तक पहुंच से संबंधित है।[8] धारा 70– गोपनीयता और निजता के उल्लंघन से संबंधित है।[9] साइबर कानूनों में इंटरनेट अपराध, कंप्यूटर अपराध, सूचना अपराध आदि से संबंधित कानून शामिल हैं। प्रौद्योगिकी अपराध, इंटरनेट और डिजिटल अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं और आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। भारत में 1999 तक साइबरस्पेस को नियंत्रित करने के लिए कोई कानून नहीं था, भारत ने पहली बार 9 जून 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम बनाया।[10]

अधिनियम, 2000 जो 17 अक्टूबर 2000 को शुरू हुआ था।[11] जिसमें अपराधों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। उदाहरण के लिए आपत्तिजनक संदेश भेजना, कंप्यूटर स्रोतों से छेड़छाड़ करना, प्रकाशन करना, आपत्तिजनक

सामग्री, गोपनीयता का उल्लंघन और अन्य अवैध गतिविधियाँ। आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 65 से 78 के तहत दंड और अपराधों के प्रावधान थे, लेकिन उनके दायरे को सीमित कर दिया गया था। सिस्टम को हैक करना, कंप्यूटर दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ करना और अश्लील खुलासा करना और इलेक्ट्रॉनिक रूप में या कपटपूर्ण उद्देश्यों के लिए सामग्री वितरित करना। 2008 का संशोधन आठ विभिन्न प्रकार के अपराध का प्रावधान करता है, जिनमें कंप्यूटर संसाधन कोड का उपयोग करने से लेकर प्रसार तक शामिल हैं और ऐसी जानकारी तैयार करना जो प्रकृति में गलत या आपत्तिजनक हो, धोखाधड़ी, बेईमानी से उपयोग हो किसी भी कंप्यूटर स्रोत में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, पासवर्ड या अन्य पहचान सुविधाएँ, किसी भी प्रकार की अश्लील छवियों और दृश्यों को प्रकाशित करना व्यक्तियों को प्रभावित करने वाला अपराध है।[12]

साइबर क्राइम बढ़ने का कारण

ऐसे कई कारक हैं जो साइबर अपराध में वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। ऑनलाइन ट्रैफिक में बढ़ोतरी, जागरूकता की कमी, पुलिस और लोगों में तकनीकी ज्ञान की कमी, साइबर अपराध के मामलों की जांच में कठिनाइयाँ।[13]

क्यों नहीं दर्ज हो रहे मामले?

पारंपरिक जांच और साइबर जांच के बीच एक बड़ा अंतर है। साइबर अपराध की जांच के लिए कुछ तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है। पुलिस विभाग साइबर और तकनीकी जांच के लिए न तो प्रशिक्षित है और न ही सुसज्जित है।[14] अधिकांश अपराध इसलिए दर्ज नहीं हो पाते क्योंकि महिलाओं को पता नहीं होता कि आगे कैसे बढ़ना है या उन्हें शर्म या डर का डर होता है। बेहतर समझ और जागरूकता के कारण अब यह चलन बदल रहा है।

सरकार द्वारा किये गये उपाय

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, ''पुलिस'' और ''सार्वजनिक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं। अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से, राज्य और केंद्रशासित प्रदेश बड़े पैमाने पर साइबर अपराध सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के प्रभारी हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां (एलईए) कानून के प्रावधानों के अनुसार अपराधियों पर मुकदमा चलाती हैं जबकि, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों का समर्थन करती है।[15]

परिणाम

अधिकांश उत्तरदाताओं को सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करते समय फर्जी ऑफर, सूचना चोरी, ट्रोलिंग, साइबर बदमाशी, रोमांस और डेटिंग और लिंक प्रलोभन जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर ज्यादातर महिला यूजर्स को सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर साइबर अपराध की घटनाओं के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा के बारे में जानकारी नहीं होती है।[16] कुछ महिलाओं का मानना है कि साइबर अपराधों से सुरक्षा के लिए उपलब्ध कानूनी सुरक्षा उपाय आईटी अधिनियम, आईटी अधिनियम 2000 और साइबर सेल हैं। महिलाओं को उस तंत्रध्राधिकरण के बारे में जानकारी नहीं है जिसके सामने उन्हें साइबर अपराधों के बारे में शिकायत दर्ज करानी है।

2022 में, भारत में 65, 893 साइबर अपराध के मामले दर्ज किए गए, जिनमें 42, 710 मामले धोखाधड़ी से, 3, 648 मामले जबरन वसूली से और 3, 434 मामले यौन शोषण से जुड़े थे।[17] गृह मंत्रालय ने भारत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को संबोधित करने के लिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम योजना (सीसीडब्ल्यूसी) की स्थापना की है। CCPWC योजना ऑनलाइन रिपोर्टिंग और जागरूकता कार्यक्रम प्रदान करती है।[18] महिलाओं के खिलाफ सबसे आम साइबर अपराधों में ब्लैकमेल, धमकी, साइबरपोर्नोग्राफी, अश्लील यौन सामग्री का प्रकाशन शामिल हैं। इसमें पीछा करना, धमकाना, मानहानि, छेड़छाड़ और नकली प्रोफाइल

स्थापित करना भी शामिल है।

निष्कर्ष

एक व्यक्ति के रूप में महिलाओं को सोशल नेटवर्किंग मीडिया में संचार करते समय अधिक सतर्क रहना चाहिए और उन्हें साइबर अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक उपकरणों से लैस होना चाहिए और उन्हें इतना मजबूत और साहसी होना चाहिए कि अगर उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो वे अपने अधिकारों और सम्मान का सहारा ले सकें। निष्कर्ष निकालने के लिए जो महिलाएं सोशल नेटवर्किंग मीडिया की उपयोगकर्ता हैं उन्हें साइबर ज्ञान, निवारक उपाय, क्या करें और क्या न करें, पासवर्ड सुरक्षा, गोपनीयता सेटिंग, सुरक्षा और गोपनीयता से प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाना चाहिए। भले ही अपराध से मुक्त समाज महज एक दिवास्वप्न है, फिर भी अपराध को न्यूनतम रखने वाले कानून बनाने के लिए लगातार प्रयास होने चाहिए। प्रौद्योगिकी के अक्सर दो पहलू होते हैं और इसका उपयोग अच्छे और बुरे दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। कानूनी प्रणाली ने महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए कई तरह के कानूनों को मंजूरी दी है। शासकों और कानून निर्माताओं को यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए कि प्रौद्योगिकी स्वस्थ तरीके से आगे बढ़े और इसका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के बजाय कानूनी और नैतिक आर्थिक विकास के लिए किया जाए। सूचना प्रौद्योगिकी समाधानों ने कॉर्पोरेट नेटवर्किंग, ई–बैंकिंग और इंटरनेट की एक नई दुनिया के द्वार खोल दिए हैं, जो लागत में कटौती और जटिल आर्थिक मामलों को सरल, तेज, अधिक कुशल और समय बचाने वाले तरीकों में बदलने के समाधान के रूप में उभर रहे हैं। लेन–देन. ऐसी सुविधाओं के आगमन के साथ, विशेषकर महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध बढ़ गए हैं। हैकर्स और क्रैकर्स सहित कई अपराधियों ने ऑनलाइन खातों के साथ छेड़छाड़ करने के तरीके खोजे हैं और उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर तक अवैध पहुंच प्राप्त करने और महत्वपूर्ण डेटा चुराने में प्रभावी रहे हैं।

तेजी से प्रौद्योगिकी पर निर्भर दुनिया में, साइबर हिंसा बढ़ रही है, जिसमें महिलाएं आसानी से निशाना बन रही हैं। ऐसे अपराधियों को सख्त कार्रवाई से दंडित करने के लिए कानून को अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए साइबर प्रथाओं, गोपनीयता सुरक्षा और कानूनी सुरक्षा के बारे में अधिक जागरूकता और ज्ञान फैलाने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. Manish Kathuria Vs Ritu Kohli, C.C. No. 14616/2014
2. Cyber Stalking- A virtual crime with real- consequences. available at https://www.worldpulse.com/community/users/mukut/posts/22772 (Last visited on 5th May 2024)
3. Cyber Stalking- A virtual crime with real- consequences. available at https://www.worldpulse.com/community/users/mukut/posts/22772 (Last visited on 5th May 2024)
4. National Crime Records Bureau (NCRB)
5. National Crime Records Bureau (NCRB)
6. Information Technology Act,2000, India ,available at https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Act,_2000 (last visited on May 5, 2024)
7. Ibid.
8. Ibid.
9. Ibid.
10. The Information Technology Act,2000 (Act 21 of 2000).

11. Information Technology Act,2000, India, available at https://en.wikipedia.org/wiki/Information_Technology_Act,2000 (last visited on May 5, 2024)
12. Shobhna jeet "Cyber Crimes against women in India: information technology act, 2000"47 journal of criminal law 8893(2012)
13. Crime in India Report 2022
14. NCPCR Handbook on Safe Childhood Program for Panchayat Member
15. The Indian Penal code,1860(Act 45 of 1860).
16. India most dangerous country to be a woman, U.S ranks 10th. Available at https://edition.cnn.com/2018/06/25/ health/india-dangerous-country-women-survey-intl/index.html. (Last visited on 6th may. 2024)
17. National Cyber Crime Reporting Portal
18. "Home Minister Amit Shah inaugurates portal to tackle cybercrimes", ET.Government.com, 11January2020, available at https://government.economictimes.indiatimes.com/news/secure-india/home-minister-amitshah-inaugurat

——==00==——